



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2019/1413

जयपुर, दिनांक: 19.8.2019

ज़िला कलेक्टर,  
समस्त (राजस्थान)।

विषय:- पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 के अन्तर्गत पंचायती  
राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 514 दिनांक 12.6.2019 ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी किये गये समयबद्ध कार्यक्रमानुसार आपको दिनांक 05 सितम्बर से 07 सितम्बर, 2019 तक की अवधि में आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात तैयार किये गए प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग को इस पत्र के साथ संलग्न सारिणीयों के प्रारूप में सूचना/प्रस्ताव(मय नक्शे जिसमें पुनर्गठित/नवसृजित प्रस्तावित पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का वर्तमान नक्शा तथा प्रस्ताव के पश्चात परिवर्तित नक्शा दोनों सम्मिलित हों) निम्नानुसार भिजवाये जाने हैं:-

सारिणी	भिजवाई जाने वाली सूचना का विवरण	सॉफ्ट कॉपी हेतु निर्धारित फोन्ट
सारिणी-1	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण संबंधित जानकारी	Devlys Font
सारिणी-2	नोटिस प्रकाशन एवं इसके पश्चात आपत्तियों के निस्तारण पश्चात नवसृजित/पुनर्गठित पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों की संख्या	Devlys Font
सारिणी-3	पंचायत समितियों बाबत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव	मंगल फोन्ट (Mangal Font)
सारिणी-4	ग्राम पंचायतों बाबत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव	मंगल फोन्ट (Mangal Font)

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रपत्रों में समस्त वांछित जानकारी/प्रस्ताव(मय उपरोक्तानुसार वर्णित नक्शों) की 5-5 प्रतियां हार्ड कॉपी में एवं सॉफ्ट कॉपी (जिसमें सारिणी-3 एवं सारिणी-4 के प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक रूप से मंगल फोन्ट (Mangal Font) में ही भिजवाई जाये, अन्य फोन्ट में होने की स्थिति में प्रस्ताव विभाग द्वारा नहीं लिये जायेंगे) निम्नानुसार सम्भागवार निर्धारित दिनांक को विशेष वाहक के साथ सम्बन्धित सम्भाग के समस्त जिलों द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें:-

नाम सम्भाग	निर्धारित दिनांक
कोटा, अजमेर एवं भरतपुर	05 सितम्बर, 2019
जयपुर एवं उदयपुर	06 सितम्बर, 2019
बीकानेर एवं जोधपुर	07 सितम्बर, 2019

( आशुतोष ए. टी. पेडणेकर )  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
5. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)

**सारिणी-1**

क्र० सं०	प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की संख्या	निस्तारित की गई आपत्ति/सुझावों की संख्या			विशेष विवरण
		स्वीकार की गई आपत्ति/सुझावों की संख्या	अस्वीकार की गई आपत्ति/सुझावों की संख्या	कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6

**सारिणी-2**

क्र० सं०	धारा-101 के तहत आपत्ति आमंत्रण नोटिस प्रकाशन में प्रस्तावित				आपत्ति/सुझावों के निस्तारण पश्चात				विशेष विवरण
	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या	पुनर्गठित पंचायत समितियों की संख्या	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या	पुनर्गठित ग्राम पंचायतों की संख्या	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या	पुनर्गठित पंचायत समितियों की संख्या	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या	पुनर्गठित ग्राम पंचायतों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**सारिणी-3**

क्र सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित		पंचायत समिति मुख्यालय से दूरी	प्रस्तावित पंचायत समिति का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	प्रस्तावित पंचायत समिति में सम्मिलित		पंचायत समिति मुख्यालय से दूरी	विशेष विवरण
		ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)			ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**सारिणी-4**

पंचायत समिति.....									
क्र सं	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	वर्तमान ग्राम पंचायत में सम्मिलित			प्रस्तावित ग्राम पंचायत का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित			विशेष विवरण
		ग्रामों के नाम	ग्रामों का मुख्यालय से दूरी	जनसंख्या		ग्रामों के नाम	ग्रामों का मुख्यालय से दूरी	जनसंख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10